

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम, अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या-112/2019

सरकार

बनाम

सतनाम सिंह उर्फ गोलू।

CNR NO.-UPAN010037362019

मु0अ0सं0-203/2019

धारा-3/25 आयुध अधि0 ।

थाना-अहिरौली।

जनपद-अम्बेडकर नगर।

आदेश

दिनांक 03.01.2022

पुकार करायी गई। अभियुक्त सतनाम सिंह उर्फ गोलू जेरे हिरासत उपस्थित।

आरोप रचना के सम्बन्ध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय (फौ0) द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुये अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्य का विवरण दिया, जिनके आधार पर उन्हें आरोप को साबित करना है।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले में उसे रंजिशन गलत तरीके से व परेशान करने की नियत से झूठा फंसाया गया है और वह निर्दोष है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त सतनाम सिंह उर्फ गोलू के विरुद्ध धारा-3/25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत आरोप रचना हेतु प्रथम दृष्ट्या प्रचुर साक्ष्य उपलब्ध है। तदनुसार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत आरोप रचना की जाए, तदनुसार आदिष्ट किया गया।

दिनांक:- 03.01.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश

त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।

जे.ओ.कोड-यू.पी. 01561

अभियुक्त सतनाम सिंह उर्फ गोलू के विरुद्ध धारा-3/25 आयुध अधि0 के अन्तर्गत आरोप रचना की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 17.01.2022 को पेश हो। साक्षीगण तलब हों।

दिनांक:- 03.01.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश

त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।

जे.ओ.कोड-यू.पी. 01561

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम, अम्बेडकरनगर।

सत्र परीक्षण संख्या-112/2019

सरकार

बनाम

सतनाम सिंह उर्फ गोलू।

आरोप

मैं अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर आप अभियुक्त सतनाम सिंह उर्फ गोलू पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करता हूँ।

यह कि दिनांक 16.07.2019 को समय 12:40 बजे दिन, स्थान बहदू ग्राम-दरबन, थाना-अहिरौली, जनपद-अम्बेडकर नगर में आप अभियुक्त के कब्जे से एक अदद पिस्टल व एक अदद जिन्दा कारतूस 7.65 (32 बोर) पुलिस द्वारा बरामद किया गया। जिसको रखने का लाईसेन्स आपके पास नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया है, जो आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोप के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:- 03.01.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड-यू.पी. 01561

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

दिनांक:- 03.01.2022

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश
त्वरित प्रथम, अम्बेडकर नगर।
जे.ओ.कोड-यू.पी. 01561